प्रकाश राज गेहलोत बनाम जिला कलेक्टर जालोर प्रकरण संख्या 05/2019

19.02.2019	अपीलांट अनुपस्थित व राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर उपस्थित होकर जवाब पेश किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर) ने व्यक्त किया। अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र 27.12.2018 को प्राप्त होने पर आवेदित सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण संबधित सूचना जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा से संबंधित होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 6(3) के तहत जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी जालोर को अपीलांट का आवेदन पत्र जरिए पत्रांक 949 दिनांक 31.12.2018 को जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी जालोर को अंतरित किया गया। जिसकी सूचना अपीलांट को दी गई। तत्पश्चात इस संबंध में अपीलांट को सूचित किया जा चुका है।अत:अपीलांट की अपील खारिज की जावे। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर) के द्वारा प्रस्तुत जवाब व कथन पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा चाही सूचना कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण आवेदन को जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी जालोर को अंतरित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट का सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन पत्र जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी जालोर को अंतरित किया गया, जो विधिवत है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी केवल वही सूचना उपलब्ध कराने के लिये बाध्य है जो उसके कार्यालय में उपलब्ध है। अत: उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। Sd/- प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.12 17:47:30 IST
Reason: SelfAttested